

निदेशक कैम्प
संख्या... 1405/9.....
दिनांक... 18/01/2016.

संख्या-03/60-1-16-1/13(103)/03 टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला कल्याण,
30प्र0 लखनऊ।

समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक/4 जनवरी, 2016

विषय:- किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत संचालित गृहों में निवासरत संवासी/संवासिनियों को उच्च गुणवत्तापरख नाश्ता/भोजन हेतु मेन्यू चार्ट।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत संचालित गृहों में निवासरत संवासी/संवासिनियों को संलग्न मेन्यू चार्ट के अनुसार प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर में भोजन, सांय में नाश्ता एवं रात में भोजन निर्धारित किया गया है। उक्त मेन्यू चार्ट सूचना पर्ट पर लिख कर प्रत्येक संस्था में लगाया जाना अनिवार्य है। उक्त हेतु भोजन मद में बच्चों हेतु रू0 4,000/- प्रतिमाह तथा महिलाओं हेतु रू0 5,000/- निर्धारित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न मेन्यू के अनुसार गृहों में निवासरत संवासी/संवासिनियों को प्रतिदिन का भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,



14/1/16
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

Dy C.P.O(M)/A.D.
सभी D.P.O को भेजें

15/01/16


A.O.(P)

सभी D.P.O.
को mail करें


सभी D.P.O.
को mail करें

370/824

19-1-16

संख्या-03(1)/60-1-16. तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।